

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 1979/कार्तिक 22, 1901
No. 222] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 1979/KARTIKA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1979

सं. प्रतिअवयगी/सा. मू. 80/79

सार्वजनिक सूचना

फा. सं. 602/1.79-डी डी के.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
प्रतिअवयगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25
अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अ.)
के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक

सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा. सू. 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्र. सं. 2730 के सामने 'माल का विवरण' स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“टेक्सटाइल वस्त्रों से बनी सभी किस्म की तैयार पोशाको परन्तु जिनमें निम्नलिखित पोशाको शामिल नहीं है :—

- (1) अंशतः अथवा पूर्णतया शुद्ध रेशम से बनी ;
- (2) उप क्र. सं. 2702 और 2731 के अन्तर्गत आने वाले 'सूती हथकरघा वस्त्रों' और 'विद्युत करघा वस्त्रों' से बनी, और
- (3) उप क्र. सं. 2707 के अन्तर्गत आने वाले सूती सूत से बनी होजरी से निर्मित ।”

महेश कुमार, अव्वर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 13th November, 1979

NO. DRAWBACK/PN 80/79

PUBLIC NOTICE

F. No. 602/1/79-DBK.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

In the column 'Description of goods' for the existing entries against Sub-Serial No. 2730, the following shall be substituted, namely :—

“All types of readymade garments made from textile Fabrics but excluding garments :—

- (i) made partly or wholly from pure silk ;
- (ii) made from 'Cotton handloom' and 'power loom fabrics' falling under Sub-Serial Nos. 2702 and 2731 ; and
- (iii) made from hosiery made of cotton yarn falling under Sub-Serial No. 2707.”

MAHESH KUMAR, Under Secy.